



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 30.03.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 24/2025 धारा 305(ए) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ इन्वर्टर व बैटरी बेचकर प्राप्त रूपयों में से 2330/- रूपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.02.2025 को थाना चांदीनगर पर वादी डा0 विपिन पंवार S/O भीम सिंह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पूरनपुर नवादा जिला बागपत मूल निवासी कांधला जिला शामली ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पूरनपुर नवादा से इन्वर्टर व बैटरी चोरी कर ली है । इस संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 24/2025 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 24/2025 धारा 305(ए) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुये प्रकाश में आये एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ इन्वर्टर व बैटरी बेचकर प्राप्त रूपयों में से 2330/- रूपये नगद बरामद बरामद हुये है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवा पुत्र ब्रजमोहन निवासी ग्राम मकरेडा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- इन्वर्टर व बैटरी बेचकर प्राप्त रूपयों में से 2330 रूपये नगद ।

गिरफ्तार अभियुक्त शिवा का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 844/17 धारा 392 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
2. मु0अ0स0 1146/17 धारा 392/411 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
3. मु0अ0स0 1294/17 धारा 307 भादवि थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 24/2025 धारा 305(ए) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 2- है0का0 186 इमरान खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3-है0का0 378 बलराज थाना चांदीनगर जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 30.03.2025

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 171/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109/118(1)/351 बी.एन.एस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 02 लकड़ी के डण्डे बरामद।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.03.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री सुमित चौधरी पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम खेड़ा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.राजीव, 2.संजीव पुत्रगण मथन सिंह, 3.रवि पुत्र राजीव, 4.उमेश, 5.चिन्टू पुत्रगण



संजीव समस्त निवासीगण ग्राम खेड़ा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा एक राय होकर हाथों में लाठी-डण्डे व धारदार हथियार लेकर वादी के भाई के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से हमला किया जिससे वादी का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया व जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 171/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109/118(1)/ 351 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 171/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/109/118(1)/351 बी.एन.एस. में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी के 02 डण्डे बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

- 1.राजीव पुत्र मथन सिंह निवासी ग्राम खेड़ा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपता।
- 2.संजीव पुत्र मथन सिंह निवासी ग्राम खेड़ा इस्लामपुर थाना बडौत जनपद बागपता।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री अनूप कुमार सिंह थाना बडौत ।
- 2-है०का० 437 बलजीत सिंह थाना बडौत ।
- 3-है०का० 438 कवित कुमार, थाना बडौत ।
- 4-का० 433 गौरव कुमार थाना बडौत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 30.03.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 160/2025 धारा 74/69/123/89/351(2) बी०एन०एस० व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 160/2025 धारा 74/69/123/89/351(2) बी०एन०एस० व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सतेन्द्र कुमार पुत्र राजपाल निवासी बस स्टैण्ड कस्बा व थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विपिन कुमार यादव थाना बागपत जनपद बागपत।

2-है०का० 422 राजन सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 30.03.2025

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक स्प्लेन्डर प्लस मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक स्प्लेन्डर प्लस मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है। उक्त



मोटरसाईकिल थाना जीटीबी एनक्लेव दिल्ली पर मु0अ0सं0 006171/25 से सम्बन्धित है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 75/25 धारा 317/(2)/317(5) BNS पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. प्रदीप पुत्र ब्रजपाल निवासी पट्टी मोल्हू बावली थाना रमाला जनपद बागपत ।
2. उज्जवल पुत्र जयदेव निवासी पट्टी मोल्हू बावली थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की हुई एक मो0सा0 स्प्लेन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट (थाना जीटीबी एनक्लेव दिल्ली के मु0अ0सं0 006171/25 से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री मंयक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री प्रियान्शु थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 907 धर्मेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-का0 1032 ब्रजेश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

